डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर कोर्ट बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मांगीलाल पुत्र श्री गणपतराम 2. नारायणराम पुत्र श्री गणपतराम 3. मदनलाल पुत्र श्री गणपतराम सभी जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला जोधपुर		1. गणपतराम पुत्र रूपाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम राणेरी तहसील बाप 2. श्रीमान शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. बैक शाखा फलोदी

वा बाबत् 88 आर.टी.एक्ट

मुकदमा संख्याः— 149/2019

मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे हाजिर श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी संख्या 1 की और से श्री रविन्द्रसिंह नजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है कि व डिक्री दी जाती है कि वाद वादीगण तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है ग्राम रामनगर वार क्षेत्र राणेरी तहसील बाप के खसरा नम्बर 516/1 रकबा 100.00 बीघा भूमि में प्रतिवादी ब्या 1 के 2/3 हिस्से की भूमि में वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के साथ संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। ग्राम रामनगर के खसरा नंबर 516/1 रकबा 100.00 वा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का 2/3 हिस्सा पूर्व की भांति रहन रहेगा। तहसीलदार बाप फिक आदेश राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर आदेश की पालना करें। नीचे

लिक बाबत्

र्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख

ूल याबी तक को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29 माह 11 सन् 2019 जारी की

(महावीर सिंह)
सहायक कलक्टर
बाप (जिला जोधपुर), राज.

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
म्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
म्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
म्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
ताना वकील			खर्चा वाहन		
गवाहन			फीस कमीश्नर		
कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

:— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो दर्ज किया जावे।

न्यायालय सहायक कलक्टर बाप, जिला जोधपुर

बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
मांगीलाल पुत्र श्री गणपतराम		1. गणपतराम पुत्र रूपाराम जाति विश्नोई
नारायणराम पुत्र श्री गणपतराम		निवासी ग्राम राणेरी तहसील बाप
मदनलाल पुत्र श्री गणपतराम		2. श्रीमान शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई.
सभी जाति विश्नोई निवासी राणेरी		बैक शाखा फलोदी
तहसील बाप जिला जोधपुर		

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद संख्या :– 149/2019

उपस्थित :–

श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादीगण की ओर से

श्री रविन्द्रसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से

निर्णय

दिनांक :– 29.11.2019

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है वादीगण एवं प्रतिवादी की सामलाती पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम रामनगर पटवार क्षेत्र राणेरी तहसील बाप के नम्बर 516/1 रकबा 100 बीघा में से प्रतिवादी संख्या 1 की 2/3 हिस्से की भूमि सहखातेदारों के साथ राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादीगण ा एंव प्रतिवादी सं. 1 के पिता रूपाराम के नाम दर्ज रही है तथा प्रतिवादी सं. 1 को भूमि जरिये विरासत के प्राप्त हुई है। चूंकि वादीगण प्रतिवादी सं. 1 की जायन्दा है इसलिये उनका उक्त वादग्रस्त भूमिं में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत ने ही हक निहित हो जाता है वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के साथ उक्त वादग्रस्त में संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादीगण ने वाद के साथ ोया, नामांतरकरण की प्रतिलिपि, मतदाता परिचय पत्र, परिवार राशन कार्ड इत्यादि जात् प्रस्तुत किये। उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का अपने पैतृक हिस्से अनुसार कब्जा काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला है। वादीगण ने अपने–अपने पैतृक हिस्से की भूमि पर अपनी अलग–अलग रहवासी , पानी के टांके इत्यादि बना रखे है। उक्त रहवासीय ढाणियों में वादीगण बारह ही

अपने परिवार सहित निवास करते आ रहे है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण को
ादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी
जिसका यह वाद पेश है। वादीगण ने वाद के अन्त में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि
दीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किये
के आदेश फरमावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 को जरिये सम्मन
किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता रविन्द्रसिंह ने अपना वकालतनामा
किया और इकबालिया जवाब प्रस्तुत करते हुवे वादीगण का वाद को माफिक
दुआ डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जो शामिल मिसल किये गये। वाद का
ादी की तरफ से विरोध नहीं किया गया इसलिये तनकीयात कायम नहीं की गई।
वादीगण वाद में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते है। इसलिये पत्रावली बहस
ो गई।

अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहरते हुवे
कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की सामलाती पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम रामपुरा
क्षेत्र राणेरी तहसील बाप के खसरा नम्बर 516/1 रकबा 100.00 बीघा में से
दी संख्या 1 की 2/3 हिस्से की भूमि अन्य सहखातेदारों के साथ राजस्व रेकर्ड में
। उक्त भूमि पूर्व में वादीगण एंव प्रतिवादी सं. 1 के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है तथा
ी को उक्त भूमि जरिये विरासत के प्राप्त हुई है। चूंकि वादीगण प्रतिवादी की
ा संतानें है इसलिये उनका उक्त वादग्रस्त भूमिं में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के
जन्म से ही हक निहित हो जाता है। इसलिये वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के साथ
रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रतिवादी सं. 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि वाद पत्र में वर्णित तथ्य
वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के जायन्दा पुत्र है वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है अतः
का वाद माफिक इस्तदुआ डिक्री किया जावे तो उन्हे कोई उजर ऐतराज नहीं है।
का वाद माफिक इस्तदुआ स्वीकार किया जावे।

कुलाय पक्षकारान् की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस
किया गया बाद मनन एवं अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त वादग्रस्त
गण एंव प्रतिवादी सं. 1 की पुश्तैनी काश्त भूमि है जो प्रतिवादी सं. 1 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Manaveer Singh
Date: 2019.12.09 18:32:55 IST
Reason: SelfAttested
Location:

सत में प्राप्त हुई है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य नामांतरकरण संख्या 174 ा राणेरी से साबित हैं। वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के जाईन्दा पुत्र है। इस बात को वादी संख्या ने अपने इकबालिया जवाब में स्वीकार किया है वादग्रस्त भूमिं में हिन्दू राधिकार अधिनियम के तहत जन्म से ही वादीगण का हक निहित होता है। वादीगण ने ने वाद को सही साबित करते किये जाने हेतु पर्याप्त सबूत पेश किये है। अतः वादग्रस्त में वादीगण का पैतृक हिस्सा बनता है इसी अनुसार वादीगण को सहखातेदार तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य से न्यायालय स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

आदेश

वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार ा जाता है ग्राम रामनगर पटवार क्षेत्र राणेरी तहसील बाप के खसरा नम्बर 516/1 ा 100.00 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के 2/3 हिस्से की भूमि में वादीगण को वादी सं. 1 के साथ संयुक्त रूप से सहखातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। ग्राम नगर के खसरा नंबर 516/1 रकबा 100.00 बीघा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का 3 हिस्सा पूर्व की भांति रहन रहेगा। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में ल दरामद कर आदेश की पालना करें। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल र होकर, नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.19 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप, जिला जोधपुर (राज.)

(महावीर सिंह)
सहायक कलेक्टर
बाप (जोधपुर)